रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1386] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2012/श्रावण 3, 1934
No. 1386] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2012/SHRAVANA 3, 1934

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2012

का.आ. 1683(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

आदेश

16 जुलाई, 2012

श्री प्यारी मोहन महापात्र और श्री बैशनाबा चरण परिदा, दोनों संसद् सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन, निर्वाचन आयोग की राय मांगने के लिए 27 दिसंबर, 2011 को एक निर्देश किया गया था;

और श्री निहार रंजन महानंदा और श्री जोगेश कुमार सिंह, दोनों ओडिशा विधान सभा सदस्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् याचियों के रुप में निर्दिष्ट किया गया है), द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन, भारत की राष्ट्रपति को तारीख 26 सितंबर, 2011 को प्रस्तुत की गई याचिका पर निर्देश उत्पन्न होने पर, अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के अधीन श्री प्यारी मोहन महापात्र और श्री बैशनाबा चरण परिदा, दोनों संसद् सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाया गया है;

और उक्त याचिका में, याचियों ने यह अभिकथित किया है कि ओडिशा राज्य से राज्य सभा में तीन स्थानों, जो कि 1 जुलाई, 2010 को रिक्त होने थे, को भरने के लिए जून, 2010 में कराए गए राज्य

सभा के द्विवार्षिक निवार्चन के दौरान श्री प्यारी मोहन महापात्र और श्री बैशनाबा चरण परिदा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(7) के अर्थान्तर्गत भ्रष्ट आचरण में संलिप्त थे, जिसके कारण वे उक्त अधिनियम के अधीन निरर्हता के लिए दायी हो गए थे । याचियों ने कथन किया है कि भ्रष्ट आचरण का यह कार्य संसद् के सदस्य होने के लिए निरर्हित करता है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबद्ध द्वारा) प्रस्तुत की है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क, उच्च न्यायालय द्वारा किसी निर्वाचन याचिका के विचारण पर, धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा किस व्यक्ति को केवल भ्रष्ट आचरण करने के दोषी ठहराए जाने के पश्चात् ही आकर्षित करेगी । निर्वाचन आयोग की राय यह है कि यह भलीभांति निर्धारित है कि भ्रष्ट आचरण के कारण के बारे में किसी अभिकथन को केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के अधीन केवल उच्च न्यायालय के समक्ष न कि किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष या किसी अन्य रीति में किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से विधि (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100) के अधीन उठाया जा सकता है । अतः, याची, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष विरोधी पक्षकार संख्या 1और 9, श्री प्यारी मोहन महापात्र, संसद् सदस्य (राज्य सभा) और श्री बैशनाबा चरण परिदा, संसद् सदस्य (राज्य सभा) द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने के मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं;

और निर्वाचन आयोग की सुविचारित राय है कि याचिका पर विरोधी पक्षकारों द्वारा अधिकथित भ्रष्ट आचरण किए जाने की जांच के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146 के अधीन इसकी कोई अधिकारिता नहीं है और आगे यह भी राय दी है कि श्री निहार रंजन महानंदा और श्री जोगेश कुमार सिंह, दोनों ओडिशा विधान सभा सदस्यों की तारीख 26 सितंबर, 2011 की याचिका, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन चलाने योग्य नहीं है;

अतः, अब, मैं प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह विनिश्चय करती हूं कि श्री निहार रंजन महानंदा और श्री जोगेश कुमार सिंह, दोनों, ओडिशा विधान सभा सदस्यों की तारीख 26 सितंबर, 2011 की याचिका चलाने योग्य नहीं है ।

भारत की राष्ट्रपति

[फा. सं. एच.11026(1)/2012-विधायी-II]

डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

2011 का निर्देश मामला सं. 7

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत की माननीय राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश से : भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन श्री प्यारी मोहन महापात्र और श्री बैशनाबा चरण परिदा, संसद् सदस्य (राज्य सभा) की अधिकथित निरर्हता ।

1. श्री निहार रंजन महानंदा विधान सभा सदस्य
2. श्री जोगेश कुमार सिंह, विधान सभा सदस्य ..... याची

बनाम

1. श्री प्यारी मोहन महापात्र, संसद् सदस्य (राज्य सभा)
2. श्री नवीन पटनायक, विधान सभा सदस्य
3. श्री अतानु सब्यसाची, विधान सभा सदस्य
4. श्री पुष्पेन्द्र सिंहदेव, विधान सभा सदस्य
5. श्री ग्रिगोरी मिंज, विधान सभा सदस्य
6. श्री शिवाजी माझी, विधान सभा सदस्य
7. श्री भीमसेन चौधरी, विधान सभा सदस्य
8. श्री रमेश राउत, विधान सभा सदस्य
9. श्री बैशनाबा चरण परिदा, विधान सभा सदस्य ..... विरोधी पक्षकार
10. श्री तारा पटनायक, ... प्रोफार्मा प्रत्यर्थी

राय

यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 27 दिसंबर, 2011 का निर्देश है जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री प्यारी मोहन महापात्र और श्री बैशनाबा चरण परिदा, दोनों आसीन संसद् सदस्य (राज्य सभा), संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं ।

2. ऊपर उल्लिखित प्रश्न, श्री निहार रंजन महानंदा और श्री जोगेश कुमार सिंह, दोनों, ओडिशा विधान सभा सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई तारीख 26 सितंबर, 2011 की याचिका में माननीय राष्ट्रपति के समक्ष उठाया गया था । याचिका में याची, अन्य बातों के साथ-साथ, अभिकथन कर चुके हैं कि जून, 2010 में आयोजित राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के दौरान, ओडिशा राज्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा सदस्यों के तीन स्थानों को भरने के लिए, जो कि 1 जुलाई, 2010 को रिक्त हो गए थे, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और बीजू जनता दल (बीजेडी) पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए, श्री प्यारी मोहन महापात्र और श्री बैशनाबा चरण परिदा दोनों (याचिका में विरोधी पक्षकार सं. 1 और 9) भ्रष्ट आचरण में संलिप्त रह चुके थे । याची के अनुसार, बीजेडी, सभा में अपने सदस्यों की आंकड़ा पदसंख्या के आधार पर केवल दो स्थानों को जीतने के लिए हकदार थी किंतु उन्होंने तीन अभ्यर्थी अर्थात् (1) श्री प्यारी मोहन महापात्र, (2) शशिभूषण बेहरा, और (3) बैशनाबा चरण परिदा को पेश किया था । श्री तारा पटनायक ने अपना नामनिर्देशन एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में किया था । तथापि, बीजेडी ने या तो इसके तीसरे अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए अवैध रूप से कुछ निर्वाचकों (अन्य दलों के विधान सभा सदस्यों) को उत्प्रेरित करके या उक्त निर्वाचन में मतदान से प्रविरत रह कर सभी तीन स्थानों को जीतने का प्रबंध किया था । यह अभिकथन किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 से 5 - से विरोधी पक्षकार सं. 6 से 8 को वित्तीय सहायता, आदि के माध्यम से अवैध रूप से उत्प्रेरित किया गया था और उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन निरर्हता के लिए वे दायी बनते हुए उन सभी ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(7) के अर्थांतर्गत भ्रष्ट आचरण किया था । याचियों ने कथन किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हता, संविधान के उपबंधों के अधीन निरर्हता समझी जाएगी ।

3. आयोग ने याचिका का परिशीलन किया है । आयोग का सुविचारित दृष्टिकोण यह है कि याचिका पूर्ण रूप से गलत समझी गई है । याचिका की कठिनाई यह है कि विरोधी पक्षकारों ने भ्रष्ट आचरण किया है और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षिप्त में '1951-अधिनियम') की धारा 123(7) और धारा 8क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन निरर्हित घोषित किया जाना चाहिए । निर्देश की सुविधा के लिए उक्त धारा 8क नीचे पुनः प्रस्तुत है :-

"**8क. भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता**----(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला, उस आदेश के प्रभावशील होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए :

परन्तु वह कालावधि जिसके लिए कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के आरम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है तो, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से किसी ऐसे प्रश्न और अर्जी पर राय लेगा और उस राय के अनुसार,कार्य करेगा ।"

4. उपरोक्त धारा 8क को सीधे तौर पर पढ़ने से यह दर्शित होगा कि उस धारा के अधीन निरर्हता, किसी निर्वाचन याचिका के विचारण पर उच्च न्यायालय के धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण करने के लिए व्यक्ति को दोषी पाए जाने के पश्चात् ही लागू होगी । यह सुविचारित है कि भ्रष्ट आचरण किए जाने के बारे में किसी अभिकथन को अधिनियम - 1951 की धारा 80 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष न कि किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष या किसी अन्य रीति में फाइल की गई किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही विधि (1951 - अधिनियम की धारा 100) के अधीन उठाया जा सकता है । अतः, याची, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष, विरोधी पक्षकारों द्वारा भ्रष्ट आचरण करने के मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं । तद्नुसार, निर्वाचन आयोग को, इस याचिका पर

विरोधी पक्षकारों द्वारा भ्रष्ट आचरण के अभिकथित करण में जांच के लिए अधिनियम - 1951 की धारा 146 के अधीन कोई अधिकारिता भी प्राप्त नहीं है ।

5. उपरोक्त संवैधानिक और विधिक प्रास्थिति की दृष्टि से, श्री प्यारी मोहन महापात्र और श्री बैसनाबा चरण परिदा के विरुद्ध श्री निहार रंजन महानंदा और श्री जोगेश कुमार सिंह की तारीख 26 सितंबर, 2011 की याचिका संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों में, भारत की राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं है । तद्नुसार, भारत की राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग को उसकी राय के लिए किए गए निर्देश को उक्त प्रभाव की आयोग की इस राय के साथ वापिस भेजा जाता है कि उक्त याचिका राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं है ।

6. तथापि, इस राय के दिए जाने से पूर्व, आयोग यह और आगे कथन करना चाहेगा कि रिश्वत और अन्य कदाचारों का आश्रय लेकर जून, 2010 में आयोजित उड़ीसा से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करने के लिए उड़ीसा सरकार के कतिपय मंत्रियों द्वारा अभिकथित प्रयास से संबंधित तात्कालिक मामला 10 जून, 2011 को कनक टीवी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम के माध्यम से उनके ध्यान में आया । उस कार्यक्रम में, रिकार्डिंगों वाली श्रव्य टेप चलाई गई थी जो जून, 2010 में आयोजित द्विवार्षिक निर्वाचन के दौरान राज्य सभा में शासक दल के तीन अभ्यर्थियों को निर्वाचित करवाने के लिए खरीद-फरोख्त में संलिप्त होने के लिए अभिकथित प्रयास को उपदर्शित करने के लिए तात्पर्यित थी । उक्त कार्यक्रम की वीडियो रिकार्डिंग और उसी के अंग्रेजी प्रतिलेखन वाली एक सीडी भी आयोग को उपलब्ध कराई गई थी । आयोग को इस विषय पर विशेष सचिव, गृह, उड़ीसा सरकार द्वारा अग्रेषित कुछ प्रेस क्लीपिंग (अस्पष्ट) भी प्राप्त हुई थीं । श्री बी.के. त्रिपाठी, भूतपूर्व संघ मंत्री और माननीय ललित मोहन पटनायक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित तारीख 4 अगस्त, 2011 की एक शिकायत/अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ था ।

7. आयोग ने उपरोक्त मामले पर गंभीरता से ध्यान दिया है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य सीबीआई एसपीई (एआईआर 1998 एससी 2010) द्वारा अभिनिर्धारित किए गए अनुसार कोई भी संसद् सदस्य/विधान सभा सदस्य लोक सेवक होता है और उसे (विधान सभा सदस्य) रिश्वत देने का और उसे स्वीकार करने के लिए उर्सका सहमत होने का प्रयास या रिश्वत के रूप में परितोषण अभिप्राप्त करने का प्रयास, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 और धारा 9 के अधीन अपराध की कोटि में आता है । इसके अतिरिक्त, भारतीय

दंड संहिता की धारा 171ख के अधीन, निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए परितोषण प्रतिगृहीत करना या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होना या उसके लिए प्रयत्न करना एक दांडिक अपराध है । तद्नुसार, आयोग ने, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के साथ पठित धारा 171ख (रिश्वत) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 12 के अधीन अंतर्वलित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर फाइल करने के लिए मामले को प्रबल रूप से अग्रसर करने के लिए आयोग ने 29 अगस्त, 2011 को उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को लिखा था, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्वेषण और अभियोजन उस संपूर्ण गंभीरता के साथ संचालित किया जाता है कि मामला इस योग्य है । यद्यपि, 13 सितंबर, 2011 को मामले में एफआईआर फाइल कर दी गई है । आयोग मामले के अन्वेषण में प्रगति की धीमी गति पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता ।

ह. /-	ह0/-	ह. /-
(एच.एस. ब्रह्म)	(एस0 वाई0 कुरैशी)	(वी.एस. संपत)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीखः 8 फरवरी, 2012

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2012

S.O. 1683(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

16th July, 2012

Whereas a reference on the 27th December, 2011 was made seeking the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra and Shri Baishnaba Charan Parida, both Members of Parliament (Rajya Sabha);

And whereas the reference arose on a petition dated the 26th September, 2011 submitted by Shri Nihar Ranjan Mahananda and Shri Jogesh Kumar Singh, both Members of Odisha Legislative Assembly (herein after referred to as petitioners) to the President of India, under clause (1) of article 103 of the Constitution of India, raising the question of alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra and Shri Baishnaba Charan Parida, both Members of Parliament (Rajya Sabha) under sub-clause (e) of clause (1) of article 102;

And whereas in the said petition, the petitioners have alleged that during the biennial election to the Council of States held in June, 2010 to fill up three seats in Rajya Sabha from the State of Odisha, that were to become vacant on 1st July, 2010, Shri Pyari Mohan Mohapatra and Shri Baishnaba Charan Parida had indulged in corrupt practice within the meaning of section 123(7) of the Representation of the People Act, 1951 rendering them liable to disqualification under the said Act. The petitioners have stated that this act of corrupt practices attract disqualification of being Members of Parliament;

And whereas the Election Commission has tendered its opinion (vide Annexure) that section 8A of the Representation of the People Act, 1951 will attract only after a person has been found guilty of commission of corrupt practice by an order under section 99 on the trial of an election petition by the High Court. The Election Commission is of the opinion that it is well settled that any allegation about the commission of a corrupt practice can be raised under the law (Section 100 of the Representation of the People Act, 1951) only by way of an election petition before the High Court under article 329 (b) of the Constitution read with Part VI of the Representation of People Act, 1951, and not before any other authority or in any other manner. Therefore, the petitioners cannot raise the issue of commission of a corrupt practice by the opposite parties No.1 and 9, Shri Pyari Mohan Mohapatra, MP (Rajya Sabha) and Shri Baishnaba Charan Parida, MP (Rajya Sabha) before the President under article 103(1) of the Constitution;

And whereas the Election Commission is of the considered opinion that it has no jurisdiction under section 146 of the Representation of People Act, 1951 to enquire into the alleged commission of corrupt practice by the opposite parties on the petition and has also further opined that the petition dated 26th September, 2011 of Shri Nihar Ranjan Mahananda and Shri Jogesh Kumar Singh, both Members of Odisha Legislative Assembly is not maintainable under clause (1) of the Article 103 of the Constitution;

Now, therefore, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby

decide that the petition dated 26th September, 2011 of Shri Nihar Ranjan Mahananda and Shri Jogesh Kumar Singh, both Members of Odisha Legislative Assembly are not maintainable.

PRESIDENT OF INDIA

[F. No. H-11026(1)/2012-Leg. II]

Dr. SANJAY SINGH, Addl. Secy.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case Nos. 7 of 2011

[Reference from the Hon'ble President of India under Article 103(2) of the Constitution]

In *re*: Alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra and Shri Baishnaba Charan Parida, Members of Parliament(Rajya Sabha) under Article 102(1) (e) of the Constitution of India

1. Shri Nihar Ranjan Mahananda, MLA
2. Shri Jogesh Kumar Singh, MLA .....Petitioners

Vs.

1. Shri Pyari Mohan Mohapatra, MP (Rajya Sabha)
2. Shri Naveen Patnaik, MLA
3. Shri Atanu Sabyasachi, MLA
4. Shri Pushpendra Singhdeo, MLA
5. Shri Grigori Minz, MLA
6. Shri Shivaji Majhi, MLA
7. Shri Bhimasen Choudhary, MLA
8. Shri Ramesh Raout, MLA
9. Shri Baishnaba Charan Parida, MP (Rajya Sabha) ... Opposite Parties
10. Shri Tara Patnaik, ...Proforma Respondent

OPINION

This is a reference dated 27th December 2011, from the President of India, under Article 103(2) of the Constitution, seeking the Election Commission's opinion on the question whether Shri Pyari Mohan Mohapatra and Shri Baishnaba Charan Parida, both sitting Members of Parliament (Rajya Sabha), have become subject to disqualification under Article 102(1)(e) of the Constitution.

2749 GI/12—3

2. The above question was raised before the Hon'ble President in a petition dated 26th September 2011, submitted jointly by Shri Nihar Ranjan Mahananda and Shri Jogesh Kumar Singh, both Members of Orissa Legislative Assembly. In the petition, the petitioners have, *inter alia*, alleged that during the biennial election to the Council of States held in June 2010 to fill up three seats of Rajya Sabha Members, representing the State of Odisha, that were to become vacant on 1st July, 2010, both Shri Pyari Mohan Mohapatra and Shri Baishnaba Charan Parida (Opposite parties No.1 and 9 in the petition) contesting candidates and fielded by the Biju Janta Dal (BJD) party had indulged in corrupt practice. According to the petitioner, the BJD was entitled to win only two seats on the basis of numeric strength of its members in the Assembly, but they put up three candidates, namely (1) Pyarimohan Mohapatra, (2) Sashibhushan Behra, and (3) Baishnaba Charan Parida. Shri Tara Patnaik filed his nomination as an Independent candidate. However, the BJD managed to win all the three seats by inducing illegally some electors (MLAs of other parties) either to vote for its third candidate or to abstain from voting at the said election. It is alleged that illegal inducement by way of financial help, etc., was given by opposite parties Nos. 1 to 5 to opposite parties Nos. 6 to 8 (mentioned in their present petition) and thereby they all committed corrupt practice within the meaning of section 123(7) of the Representation of the People Act, 1951 rendering them liable to

disqualification under the said Act. The petitioners have stated that disqualification under the Representation of the People Act 1951 shall be deemed to be disqualification under the provisions of the Constitution.

3. The Commission has perused the petition. The Commission is of the considered view that the petition is entirely misconceived. The crux of the petition is that the opposite parties have committed a corrupt practice and they should be declared disqualified under Article 102(1)(e) of the Constitution read with sections 123(7) and 8A of the Representation of the People Act, 1951 (for short '1951-Act'). For ease of reference, the said section 8A is reproduced below:-

> "8A. Disqualification on ground of corrupt practices.—(1) The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted, as soon as may be, after such order takes effect, by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period:
>
> Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect.
>
> (2) Any person who stands disqualified under section 8A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975), may, if the period of such disqualification has not expired, submit a petition to the President for the removal of such disqualification for the unexpired portion of the said period.
>
> (3) Before giving his decision on any question mentioned in sub-section (1) or on any petition submitted under sub-section (2), the

President shall obtain the opinion of the Election Commission on such question or petition and shall act according to such opinion."

4. A plain reading of the above section 8A would show that the disqualification under that Section is attracted only after a person has been found guilty of commission of a corrupt practice by an order under section 99 of the High Court on the trial of an election petition. It is well settled that any allegation about the commission of a corrupt practice can be raised under the law (Section 100 of the 1951-Act) only by means of an election petition before the High Court filed under Article 329(b) of the Constitution read with section 80 of the 1951-Act, and not before any other authority or in any other manner. Therefore, the petitioners cannot raise the issue of commission of a corrupt practice by the opposite parties before the President under Article 103(1) of the Constitution. Accordingly, the Election Commission has also no jurisdiction under Section 146 of the 1951-Act to enquire into the alleged commission of corrupt practice by the opposite parties on this petition.

5. In view of the above constitutional and legal position, the petition dated 26th September, 2011, of Shri Nihar Ranjan Mahananda and Shri Jogesh Kumar Singh against Shri Pyari Mohan Mohapatra and Shri Baishnaba Charan Parida is not maintainable before the President of India in terms of Article 103(1) of the Constitution. Accordingly, the reference made by the President of India to the Election Commission for its opinion under Article

103 (2) is hereby returned with the opinion of the Commission to the above effect that the said petition is not maintainable before the President.

6. However, before parting with this opinion, the Commission would like to add that the instant matter relating to alleged attempt by certain Ministers of the Government of Orissa to influence the outcome of the biennial election to Rajya Sabha from Orissa held in June 2010 by resorting to bribery and other malpractices came to its notice through a programme telecast on the Kanak TV Channel on 10th June, 2011. In that programme, an audio tape was played containing recordings which purported to indicate alleged attempt to indulge in horse trading to get three candidates of the ruling party elected to the Rajya Sabha during the biennial election held in June 2010. A CD containing the video recording of the said programme and English transcript of the same was also made available to the Commission. The Commission also received some press clippings (illegible) forwarded by the Special Secretary, Home, Govt. of Orissa on the subject. A complaint/representation dated 4th August 2011 jointly signed by Sh. B.K. Tripathy, former Union Minister and by Er. Lalit Mohan Patanaik, was also received.

7. The Commission took a serious note of the above mater. An MP/MLA is a public servant, as held by the Hon'ble Supreme Court in PV Narsimha Rao Vs. State CBI SPE (AIR 1998 SC 2120), and the attempt to bribe him (MLA) and of his agreeing to accept or attempt to obtain gratification, by way

of bribery, amounts to an offence under Sections 8 and 9 of the Prevention of Corruption Act, 1988. Further, under Section-171B of the IPC, accepting or agreeing to accept or attempt to obtain a gratification for exercising the electoral right is a criminal offence. Accordingly, the Commission wrote to the Chief Secretary to the Govt. of Orissa on 29th August, 2011 to file an FIR against the persons involved, under Section 171B (bribery) read with Section 120 of IPC, and Sections 7, 8, 9 & 12 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and to pursue the matter vigorously to ensure that investigation and prosecution is conducted with all seriousness that the matter deserves. Though an FIR has been filed in the matter on 13th September, 2011, the Commission cannot help but expressing its unhappiness over the slow pace of progress in the investigation of the matter.

Sd/-

(V.S. Sampath)
Election Commissioner

Sd/-

(S.Y. Quraishi)
Chief Election Commissioner

Sd/-

(H.S. Brahma)
Election Commissioner

Place: New Delhi
Dated: 8th February, 2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054